

तारीख
हुस्न

अपील संख्या 18/2019 सुलतिड बनान नगर सुधार न्यास भरतपुर

2.5.2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा पत्रावली में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया। वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा सहमति जाहिर की गई लिहाजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का कथन है कि रैस्पोजेन्टस अपीलान्टस की आराजी में से ख0नं0 413 के लिये रास्ता कायम करने पर आमादा है तथा अपीलान्टस के खिलाफ अन्तिम नोटिस दिनांक 15.1.2019 विधिविरुद्ध तरीके से जारी किया गया है। जिसकी आड में रैस्पोजेन्टस अपीलान्ट की जायदाद को तोडफोड करने पर आमादा है इसलिए नोटिस दिनांक 15.1.2019 निरस्त किया जावे। यह कि अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पोजेन्ट की पैतृक आराजी ख0नं0 555/0.18ऐयर, 556/0.35ऐयर, 1006/0.13ऐयर, 407/0.01 ऐयर वाकै ग्राम गोलपुरा तह0 भरतपुर में स्थित है। जिसमें अपीलान्टस के मकानात बने हुये है। स्वयं की आराजी में अपने मकानात को आने जाने के लिये रास्ता व तरफ पश्चिम 30 फुट छोडा हुआ है जो अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोजेन्ट द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों को भी उक्त आराजी में से हिस्सा आराजी को बेचान किया हुआ है। अब रैस्पोजेन्ट 1 व 2 के बदनियती के चलते उसके पास लगी दीगर आराजी ख0नं0 413 के आने जाने के लिये अन्य जगह से रास्ता स्थापित किया हुआ है परन्तु नगर सुधार न्यास अपीलान्ट की आराजी में से गलत तरीके से ख0नं0 413 के आने जाने के लिये रास्ता कायम करना चाहते है और विधि विरुद्ध नोटिस जारी कर रहे है अपीलान्ट की ओर से कई बार जबाब दिये जाने के उपरान्त भी न्यास द्वारा अन्तिम नोटिस दिनांक 15.1.2019 जारी किया गया है जो काबिले मंसूखी है। विवादित आराजी अपीलान्टस की पैतृक खातेदारी की आराजी है न तो कोई मुआवाजा दिया गया और विधिविरुद्ध तरीके से ले-आउट प्लान में रास्ता कायम कर दिया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं है नगर सुधार न्यास भरतपुर एवं रैस्पोजेन्टस द्वारा साज कर अपीलान्ट को उसकी पैतृक खातेदारी की आराजी से बेदखल करना चाहते है यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अपीलान्ट अपने अजीम क्षति होगी तथा वेवजह मुकदमेवाजी को बढ़ावा मिलेगा। यदि रैस्पोजेन्टस श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अन्तिम नोटिस ताफैसला अपील स्थगित किया जावे तथा गैर सायलान को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी में स्थित जायदादोंकी मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

वकील रैस्पोजेन्ट का तर्क है कि यह अपील क्षेत्राधिकार से परे है क्यों कि न्यास की ओर से नोटिस दिनांक 15.1.2019 आम रास्ते से अतिक्रमण हटाये जाने से संबधित जारी किया जाना एक प्रशासनिक कार्यवाही है तथा प्रशासनिक कार्यवाही की कोई अपील नहीं होती है। इसके अलावा यह प्रकरण एक आम रास्ते पर अतिक्रमण का है जो पब्लिक ग्रेबीयन्स के साथ-साथ आम रास्ते पर अतिक्रमण एक पब्लिक न्यूसेंस भी पैदा करता है जिसकी कार्यवाही 133 सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकती है। पब्लिक न्यूसेंस के मामले की सुनवाई क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट द्वारा कउआ का नगला आनन्द नगर बार्ड नम्बर-1 मुरवारा रोड कस्बा भरतपुर में नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा पारित ले-आउट प्लान में दर्शित नक्शा व मौके पर कायम गै0मु0 रास्ता पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर दिया है जिससे

न्यास भरतपुर द्वारा जांच उपरान्त अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है जो न्यायोचित है। अपीलान्त ने जानबूझ कर अपने ही परिवारीजनों को रैस्पोडेन्ट बनाया गया है ताकि प्रकरण लम्बित रह सके और अवैध अतिक्रमण कायम रह सके ताकि कॉलोनी वासियों को आने जाने का रास्ता सदैव के लिये बन्द किया जा सके। इस अपील की आढ में अपीलान्त अपने अतिक्रमण को यथास्थिति बनाये हुये है जो कतई उचित नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 की धारा 92(क) के तहत टीम गठित कर संयुक्त मौका जांच उपरान्त निर्णय दिनांक 7.2.2019 भी पारित किया गया है जिसमें यह सिद्ध हुआ है कि आ0ख0नं0 413, 556 वाकै आनन्द नगर जो राजस्व रिकार्ड में न्यास के नाम इन्द्राज है तथा आनन्द नगर फेज-1 का ले आउट प्लान जो दिनांक 22.8.2013 को अनुमोदित हो चुका है। खसरा नम्बर 413 की प्लॉटिंग के दक्षिण दिशा में स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार 30 फुट रोड आम रास्ता स्वीकृत है। ले-आउट प्लान में यह भूमि आम रास्ता स्पष्ट है। जिस विवादित भूमि आम रास्ता पर अतिक्रमण सिद्ध हुआ है वह किसी की निजी भूमि न होकर न्यास के नाम राजस्व रिकार्ड में बकायदा दर्ज है। ऐसी स्थिति में बकायदा आम रास्ते पर अतिक्रमण साबित हुआ है इसलिए अपीलान्त के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा न्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.2.2019 भी इस क्षेत्राधिकार विहीन अपील के चलते प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस अपील को एक प्रशासनिक कार्यवाही, पब्लिक ग्रैबीयेन्स, पब्लिक न्यूसेंस, तथा ले-आउट प्लान जो दिनांक 22.8.2013 को अनुमोदित हो चुका है में विवादित आराजी का रास्ता स्पष्ट अंकित होने के आधार पर अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है क्यों कि यह मामला एक प्रशासनिक कार्यवाही के अंतर्गत अतिक्रमण हटाये जाने हो लेकर जारी किये गये नोटिस के संदर्भ में है जिसकी अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा निवेदन किया गया कि आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आने जाने का रास्ता बन्द किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं रहता है लिहाजा अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज की जावे।


वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील नगर विकास न्यास द्वारा जारी नोटिस दिनांक 15.1.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस नोटिस के जरिये नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अपीलान्त शेरसिंह, फूलसिंह वगैरह को अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। दौराने रिकार्ड अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आ0ख0नं0 413, 556 वाकै आनन्द नगर जो राजस्व रिकार्ड में न्यास के नाम इन्द्राज है तथा आनन्द नगर फेज-1 का ले आउट प्लान जो दिनांक 22.8.2013 को अनुमोदित हो चुका है। खसरा नम्बर 413 की प्लॉटिंग के दक्षिण दिशा में स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार 30 फुट रोड आम रास्ता स्वीकृत है। ले-आउट के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि आम रास्ता अंकित है। जिस विवादित भूमि आम रास्ता पर अतिक्रमण सिद्ध हुआ है वह किसी की निजी भूमि न होकर न्यास के नाम राजस्व रिकार्ड में बकायदा दर्ज है। इस संदर्भ में जांच उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 7.2.2019 भी पारित किया गया है। इसके अलावा वकील अपीलान्त का यह कहना कि ले-आउट प्लान को संशोधित किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 18/2019 फूलसिंह बनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
----------------	--	---

जावे अथवा मुआवजे का जिक्र करना यह उज्रदारी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। ऐसी स्थिति में चूंकि विवादित भूमि वर्तमान में न्यास के नाम दर्ज है तथा ले-आउट प्लान अनुमोदित हो चुका है लिहाजा स्थगन पर निर्णय न लिया जाकर अपील के मैरिट के बिन्दुओं पर मनन किया गया। चूंकि लेआउट प्लान में विवादित भूमि रास्ता अंकित है जिस पर अतिक्रमण किया जाना पब्लिक न्यूसेंस की तारीफ में आता है जिसके लिये जारी नोटिस चूंकि एक प्रशासनिक कार्यवाही है जिसकी अपील चलने योग्य नहीं रहती है दौराने बहस यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 की धारा 92(क) के तहत पारित आदेश दिनांक 7.2.2019 भी प्रकरण के चलते प्रभावित हो रहा है। लिहाजा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आधारहीन होने से खारिज की जाती है। नगर विकास न्यास भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आम जनता एवं सभी हितधारी पक्षकारान के हक हकूकों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर न्यायिक परिपेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे साथ ही पक्षकारान अपनी उज्रदारी न्यास के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहते है।

निर्णय आज दिनांक 2.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


 संभागीय आयुक्त
 भरतपुर